

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10848 / ५०५५

दिनांक :- ०८/०८/१९

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री महेन्द्र [लिंक न. 10848] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कूदन, सीकर - [23515] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/08/2018 से 03/08/2018 तक 1 दिवस

दिनांक 07/08/2018 से 08/08/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 20/08/2018 से 21/08/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 17/09/2018 से 18/09/2018 तक 2 दिवस

दिनांक 26/09/2018 से 28/09/2018 तक 3 दिवस

कुल 10 दिवस

उक्त कुल 10 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री महेन्द्र की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10848 / ५०५५

दिनांक :- ०८/०८/१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कूदन, सीकर
2. कोषाधिकारी सीकर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री महेन्द्र [10848] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कूदन, सीकर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)